इकाई–4

समाज कल्याण नीति
(Social Welfare Policies)

पाठ संरचना (Lesson Structure)

4.0 उद्देश्य (Objective)

4.1 परिचय (Introduction)

4.2 सामाजिक नीति की विशेषतायें एवं आवश्यकता
(Characteristics and Need of Social Policy)

4.3 वृद्धों के लिये सामाजिक नीति (Social Welfare Policies for Aged)

4.4 विकलांगों के लिये समाज कल्याण नीति
(Social Welfare Policies for Disabled)

4.5 राष्ट्रीय स्तर पर किन्नरों के लिये समाज कल्याण नीति
(Social Welfare Policies for Trans-Gender at Natinal Level)

4.6 युवाओं के लिये राष्ट्रीय स्तर पर समाज कल्याण नीति
(Social Welfare Policies for Youth at National Level)

4.7 राष्ट्रीय स्तर पर नशा करने वालों के लिये समाज कल्याण नीति
(Social Welfare Policies for Drug-Addicts at national Level)

4.8 सारांश (Summary)

4.9 अभ्यास के प्रश्न (Questions for Exercise)

4.10 प्रस्तावित पाठ (Suggested Readings)

4.0 उद्देश्य (Objective)

सामाजिक नीति के अन्तर्गत अनेक कल्याणकारी नीतियों सम्मिलित है जिनमें आरक्षण नीति (Reservation Policy) सर्वोच्च है । अन्य नीतियों में बाल नीति, श्रम-नीति, नि:शक्त जन नीति, महिला नीति, जनसंख्या नीति, पोषाहार नीति, शिक्षा नीति इत्यादि । इस पाठ्य क्रम का उद्देश्य समाज कल्याण से सम्बन्धि नीतियों जैसे वृद्धजनों के लिये, नि:शक्त या विकलांग लोगों के लिये, युवाओं एवं नशेडियों के लिये तथा किन्नरों (Transgender) लोगों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करना है तथा उनके लिये कया प्रावधान किये जा रहे हैं इसकी जानकारी प्राप्त करना है ।

4.1 परिचय (Introduction)

वर्तमान लोक कल्याणकारी शासन व्यवस्थाओं का संचालन संविधानसम्मत नीतियों तथा विधियों के माध्यम से होता है ं लोकनीति के निर्माण के माध्यम से लक्ष्य तथा उद्देश्य स्पष्ट कर लिये जाते हैं तथा उसी के अनुरूप कार्य योजना को व्यावहारिक रूप प्रदान किया जा सकता है । समुचित राष्ट्रीय नीति के अभाव में विकास की रहा न केवल भटक सकती है बल्कि श्याासक-प्रशासकों के मध्य असमंजस की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है ।

लोक नीति वह दिशा निर्देश पग होता है जो सरकारी कार्यों तथा कार्यक्रमों को एक निश्चित दिशा प्रदान करता है । लोक नीति अथवा सामाजिक नीति की आवश्यकता सदैव विद्यमान रही है । लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रसार तथा लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की लोकप्रियता के पश्चात् अब लोक नीति के निर्माण तथा सफल क्रियान्वयन पर बल दिया जाने लगा है ।

किसी भी राष्ट्र का संविधान जानाकांक्षाओं तथा शासन के उद्देश्यों का मूलभूत दस्तावेज होता है । संवैधानिक आदर्शों तथा प्रावधानों को भूतिरूप देने के लिये कुछ विषयवार लोक नीतियों की आवश्यकता होती है, ताकि जन कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो सके ।

वर्तमान समय में राज्य सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन का एक माध्यम बन गयाह ै अत: राज्य प्रायोजित विकास कार्यों तथा परियोजनाओं के लक्ष्य, बिना नीतियों का निर्धारण किये नहीं हो सकता है । इसी प्रकार सामाजिक सुरक्षा, विकास, परिवर्तन तथा सुधार से जुड़ी बहुत सी नीतियाँ एकीकृत रूप में 'सामाजिक नीति' कहलाती है ।

सामाजिक नीति, वह नीति है जो समाज की आवश्यकताओं जटिलताओं, संरचना तथा समस्याओं के अनुरूप तैयार की जाती हैं, तथा उसका मुख्य लक्ष्य सामाजिक कल्याण और सामाजिक विकास होता है । यह सरकार द्वारा जानबूझकर किया गया वह कार्य है जो नागरिकों के कल्याण में वृद्धि करने हेतु है । स्पष्टत: सामाजिक नीति का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक विकास तथा जनकल्याण है । सामाजिक नीति को निर्मित करने से पूर्व उन सामाजिक समस्याओं का पता लगाना आवश्यक है जो किसी समाज के विकास में बाधक सिद्ध हो रही हों । भारत में समाज कार्य से सम्बद्ध अनेक सामाजिक समस्यायें हैं जिनकी गिनती करना मुश्किल है । परन्तु यहाँ हम सिर्फ कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक समसयाओं का ही वर्णन करेगे जेसे-वृद्धजनों से सम्बनिधत, नि:शक्तता की समस्या, किन्नरों की समस्या, युवाओं की समस्या इत्यादि ।

उपर्युक्त समस्याओं के अतिरिक्त भी भारत में बहुत सी सामाजिक समस्यायें हैं। सामाजिक समस्याओं की प्रकृति जटिल तथा विविधताओं से परिपूर्ण होती है अत: ऐसी सामाजिक नीति की आवश्यकता होती है जो प्रशासन को लक्ष्य पूर्ति में सक्रिय मार्गदर्शन दे सकें।

4.2 सामाजिक नीति की विशेषतायें एवं आवश्यकता (Characteristics and Need of Social Policy)

सामाजिक नीति की कुछ प्रमुख विशेषतायें हैं। जैसे :-

1. यह सरकारी नीति है जो समाज कल्याण को मुख्य लक्ष्य मानती है।
2. इसमें सामाजिक कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सुधार तथा सामाजिक परिवर्तन सहित सामाजिक विकास के लक्ष्य समाहित होते हैं।
3. यह सामाजिक सेवा तथा कल्याण क्षेत्र की बहुत सी नीतियों जैसे-सामाजिक न्याय या आरक्षण नीति, नि:शक्त जन नीति, शिक्षा नीति, स्वास्थ्य नीति, जनसंख्या नीति, बाल नीति, महिला नीति तथा श्रम नीति इत्यादि का सामूहिक या एकीकृत नाम है।
4. सामाजिक नीति विविध स्वरूपों जैसे- संवैधानिक प्रावधानों, नीति प्रस्तावों, सरकारी निर्णयों तथा योजनाओं के यप में हमारे सामने आती है।
5. संघीय शासन व्यवस्था होने के कारण भारत में यह केन्द्र तथा राज्य सरकार दोनों स्तरों पर निर्मित एवं कार्यान्वित हो सकती है।
6. सामाजिक नीति, देश काल तथा परिस्थितियों के अनुयप परिवर्ति होती रहती है।

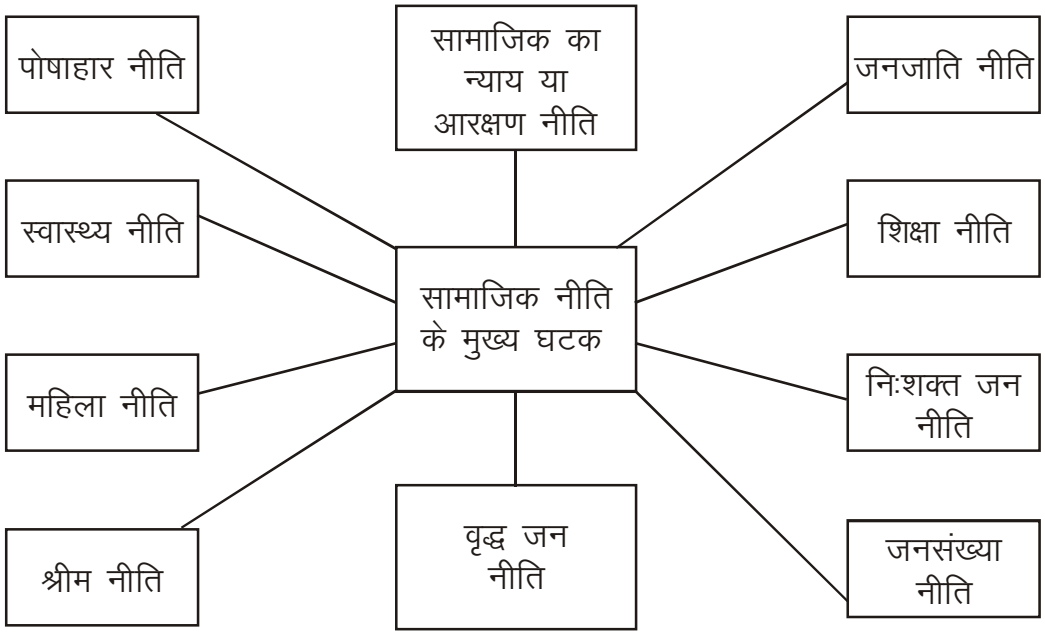

सामाजिक नीति के मुख्य घटक के अलावा भी युवाओं, किन्नरों तथा नशे में लिप्त व्यक्तियों की समस्या भी दिन प्रतिनिद बढ़ती जा रही है। अत: प्रशासन इस ओर भी ध्यान दे रही है। क्योंकि युवा देश के भावी कर्णधार हैं अत: उनके सम्बन्ध में आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है।

सामाजिक नीति की आवश्यकता :–

भारत में अभी तक समग्र सामाजिक नीति का निर्माण नहीं हुआ है। इसकी आज के समाज में अत्यन्त आवश्यकता है। उन्हें सामाजिक नीति के लाभ भी कहे जा सकते हैं।

1. इससे संवैधानिक लक्ष्यों को जल्द पूरा किया जा सकेगा।
2. सामाजिक समानता तथा न्याय की स्थापना हो सकेगी।
3. सामाजिक परिवर्तन को वांछित दिशा प्रदान की जा सकेगी।
4. सामाजिक विकास को साकारात्मक राह मिल सकेगी।
5. उपलब्ध संसाधनों का उपयोग हो सकेगा।
6. भविष्य की सामाजिक आवश्यकताओं के साथ सामंजस्य स्थापित किया जा सकेगा।
7. सामाजिक नियोजन तथा कार्यक्रम क्रियान्वयन में सहायता मिल सकेगी।
8. परिवर्तित होते आर्थिक सांस्कृतिक और राजनीतिक पर्यावरण के अनुरूप सामाजिक कल्याण कार्यक्रम निरूपति हो कसेंगे।
9. सामाजिक कार्यों में परामर्श पर्यवेक्षण मूल्यांकन तथा नियंत्रण सरल हो सकेगा और जनाकांक्षाओं की पूर्ति हो सकेगी।

भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों में राज्य के लिये उन प्रयासों को वर्णित किया गया है जो श्रमिक, निर्धन, पिछड़े, अशक्त, बालक, वृद्ध तथा समाज की दृष्टि में हेय व्यक्ति के उत्थान के लिये आवश्यक है। सामाजिक नीति के माध्यम से इन्हीं वर्गों के उत्थान का प्रयास किया जाता है। आधुनिक राज्यों में कानून, लोक प्रशासन, लोक नीतियाँ और संविधान सामाजिक परिवर्तन का प्रभावी हथियार माने जाते हैं। समाज की सोंच को साकारात्मक दिशा में मोड़ना सामाजिक नीति का एक मुख्य उद्देश्य है। इस नीति के अन्तर्गत आने वाले कुछ प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं।

4.3 वृद्धों के लिये सामाजिक नीति (Social Welfare Policy for Aged Older Persons)

संयुक्त राष्ट्र द्वारा सन् 1999 को अनतर्राष्ट्रीय वृद्धजन वर्ष घोषित करने पर भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिको (60 वर्ष या उससे उपर) के प्रति अपने दायित्वों को गम्भीरता से लिया तथा जानवरी 1999 में वृद्धजनों हेतु राष्ट्रीय नीति घोषित की। नीति के प्रावधान निम्नलिखित हैं :–

1. औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रों में कार्यरत वृद्धों की वित्तीय सुरक्षा दी जायेगी।

2. वृद्धावस्था की स्वास्थ्य तथा पोषण सम्बन्धी समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जायेगा तथा बचाव पक्ष (Preventive) पर बल देगा ।
3. वृद्धों की जीवन चर्चा के अनुरूप आप्राय स्थल (आवास) विकसित किये जायेंगे ।
4. वृद्धों की शिक्षा, प्रशिक्षण, तथा सूचना आवश्यकता की पूर्ति तथा इस क्षेत्र में अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा दिया जायेगा ।
5. नि:शक्त विधवाओं तथा असहाय वृद्धों को प्राामिकता के आधार पर सहायता दी जायेगी ।
6. वृद्धजनों के लिये कल्याण कोष का गठन होगा ।
7. वृद्धजनों को जीवन तथा सम्पत्ति की रक्षा पर विशेष ध्यान दिया जायेगा ।
8. वृद्धजनों को विशेष रियायतें, छूट तथा लाभ प्रदान किये जायेंगे ।
9. इस क्षेत्र में स्वैच्दिक संगठनों की पूर्ण भागेदारी बढ़ाई जायेगी ।
10. वृद्धों के 'स्वयं सहायता समूहों' का निर्माण किया जायेगा ।
11. वृद्धों तथा बच्चों के बीच पीढियों के अन्तराल को कम करने तथा परिवार के एकीकरण के प्रयास किये जायेंगे ।
12. समाज कार्य विद्यालयों तथा चिकित्सा महाविद्यालयों में वृद्धों की सेवा के लिये प्रशिक्षित मानव संसाधन तैया किया जायेगा ।
13. इस नीति के क्रियान्वयन के लिये तथा इसकी मौनिटरिंग करने के लिये लोक प्रयाासन के विशेषज्ञों का उपयोग किया जायेगा ।

उक्त नीति के अनुपालन में वरिष्ठ नागरिकों को (Senior citisons) रेलवे एवं राज्य परिवहन निगमों की बसों में किराया में छूट भी दी जा रही है ।

वृद्धजनों के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण बात यह भी है कि भारत में (80%) अस्सी प्रतिशत वृद्धजन गाँवों में (Rural area) रहते हैं, जिसके कारण उनकी देख रेख सरकार द्वारा उचित रूप से नहीं हो पाती है । इसके अतिरिक्त ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि (51%) इक्यावन प्रतिशत वृद्ध महिलाओं की जनसंख्या 2016 तक हो जायेगी । 30% वृद्धजन गरीबों रेखा के नीचे हैं । इस सब कारणों से वृद्धजनों की समस्या बहुत ही नाजुक है ।

भारत के संविधान के अन्तर्गत भी वृद्धजनों के प्रति किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करने की बात कही गई हैं । राष्ट्रीय नीति (National Policy) के अन्तर्गत वृद्धजनों को प्रत्येक क्षेत्र में स्वास्थ्य लाभ, रहने की व्यवस्था तथा उनका कलयाण तथा वित्तीय सहायता की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है ।

वृद्ध महिलाओं की उम्र, तथा विधवा होने पर, लिंग को ध्यान में रखकर उनपर अत्याचार नहीं हो, ऐसी व्यवस्था भी सरकार द्वारा की गई है । वृद्धजनों के भी सशक्तीकरण के स्त्रोत क रूप में देखा जाना चाहिये, जिससे वृद्धावस्था में भी वे समाज को कुछ दे सकें ।

आज नेशनल पॉलिसी फॉर ओल्डर पर्सन्स (National Policy for Older Persons; (NPOP)) जो 1999 में इसलिये बनाया गया था कि देश में साठ (60) से अधिक उम्र के लोगों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही थी। अतः NPOP का उद्देश्य वृद्धजनों तथा उनकी पत्नियों (Spoure's) को स्वयं की सहायता करना तथा उनमें यह भावना जागृत करना कि वे अपने को बेकार ना समणें बल्कि एक स्वतन्त्र नागरिक की तरह सर उठाकर अपना जीवन यापन करें। इस नीति का यह भी धेय है कि वैसी ऐच्छिक संस्थाओं को आगे बढ़ायें औश्र मदद करें जो इन वृद्धजनों को मदद पहुँचायें जैसे उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना तािा उनके उम्र के अनुसार कार्यों की व्यवस्था करना इत्यादि। अतः एच्दिक संस्थायें यहाँ काफी सहायता प्रदान कर सकती हैं।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रालय (MOSJE) NPOP के साथ मिलकर वृद्धजनों के लिये नीतियों का निर्माण कर रहे हैं और किया भी है। दूसरे मन्त्रालय भी इसमें सहयोग प्रदान करते हैं। MOSSE और NPOP ने मिलकर काफी परिश्रम से एक कमिटी बनाई है जिसमें विशेषज्ञों (Experts) को रखा गया है, जो यह बतलायेंगे किस प्रकार वृद्धजनों के लिये कार्यक्रम चलाया जा सकता है तथा उनके लिये किस प्रकार से ख्याल रखा जा सकता है ं इस विशेषज्ञों की कमिटी ने एक फिर से revised National Plicy वरिष्ठ नागरिकों (NPSC) के लिये बनाई है, जिसके अनुसार :–

1. वृद्ध महिलाओं पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। (Special Attention).
2. गाँवों में रहने वाले वृद्धजनों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।
3. मेडिकल तकनीकी बहुत आगे बढ़ गया है तथा उस में बहुत कार्य हुये हैं, उसको देखते हुये सरकार द्वारा नीति में सुधार लाया गया है। जैसे:–
   - (i) वृद्धावस्था में इनकम सेक्यूरीटी की व्यवस्था होनी चाहिएये, (Income Security)
   - (ii) स्वास्थ्य सुविधा, (Health care)
   - (iii) Sefety and Security)
   - (iv) घर की व्यवस्था (Housing).
   - (v) कल्याण से सम्बन्धित कार्य (Welfare)
   - (vi) अपने परिवार के सदस्यों के साथ चाहे उम्र में छोटे हों मिलकर रहने की प्रवृत्ति का विकास (Multigenerational bounding)
   - (vii) आपदा तथा आपतकाल के समय उनका ख्याल रखना, उनकी रक्षा करना। (Protection during natural disater and emergenies)
   - (viii) प्रेस और मिडिया को इनपर ध्यान देना। (Press of Media)

इसके अतिरिक्त (NPOP) नेशनल पॉलिसी फॉर ओल्डर पर्सन्स ने वृद्धजनों के लिये वृद्धजावस्था पेंशन की स्कीम भी चलाई है जिसमें गरीबी रेखा से नीचे रहने वालें को वृद्धावस्था पेंशन दिया जायेगा। इसे बढ़ा का प्राइवेट सेक्टर में भी करने की व्यवस्था की गई है। कुछ टैक्स से भी छूट देने की व्यवस्था है अगर इन्हें दवाइयाँ और नरसिंग केयर के लिये खर्च करने पड़ रहे हैं तो उन्हें यह छूट दी जा सकती है।

स्वास्थ्य के सम्बन्ध में वृद्धजनों के लिये अच्दी स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करने की व्यवस्था होनी चाहिये। सवास्थ्य सेवा में भी कुछ छूट की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता है। सरकार की नीति ऐसी होनी चाहिये कि वह प्राइवेट नर्सिंग होम अथवा प्राइवेट स्वास्थ्य सेवाओं को, अस्पतालों को यह निर्देश दे कि वह वृद्धजनों के मामलों में कुछ छूट देने की व्यवस्था करे। वैसे वृद्धजन जो मानसिक रूप से स्वस्थ्य नहीं है उनके लिये काउंसेलिंग (Counselling) की व्यवस्था तथा प्रशिक्षण देने (Training) की भी व्यवस्था की जानी चाहिये।

वृद्धजनों के स्वास्थ्य सम्बन्धी बातों के अतिरिक्त उनके रहने की व्यवस्था (Shelter) भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकारी और प्राइवेट घरों के स्कीम में (10%) दस प्रतिशत इनके लिये रखा जा सकता है और इसके लिये लोन की भी आसान व्यवस्था की जानी चाहिये। तथा इनके (Property) सम्बन्धी केसों को जल्दी सुलझाने का प्रयत्न किया जाना चाहिये। इन्हें इस सम्बन्ध में भी शिक्षित किया जाना चाहिये कि उन्हें सभी चीजों की उचित जानकारी प्राप्त हों। उन्हें अपने को सुरक्षित कैसे रखना है तथा जीवन में आये हुये बदलावों के अनुसार अपने को कैसे ढ़ाला जाय। इन सभी की जानकारी उन्हें समय-समय पर देकर प्रशिक्षित किया जा सकता है।

वैसे वृद्धजन जिनको कोई परिवार नहीं है, उनको चिन्हित कर उनके लिये व्यवस्था प्रदान करता है। इसके यिले ऐच्छिक संस्थाओं को मदद करना, जिससे वे उन लोगों के लिये वृद्धजन (Old Age Hmoe) की व्यवस्था करें तथा उसके रख रखाव का प्रबन्ध करें। इसके लिये कल्याण फंड की व्यवस्था वृद्धों के लिये की जानी चाहिये। और इस फंड के लिये पैसों का प्रबन्ध कॉरपोरेट सेक्टर से, ट्रस्ट से तथा व्यक्तियेां के दान से इक्टठा किया जा सकता है, और इसके लिये एच्छिक संस्थाओं को साथ में लेकर वृद्धजनों (Seniour Citigen) की सहायता की जा सकती है।

अनेक मंत्रालय मिलकर वृद्धजनों की समस्याओं का निवारण कर सकते हैं जैसे मानव संसाधन मंत्रालय, महिला एवं बाल विाकस मंत्रालय, वित्त मंत्रालय तथा श्रम मंत्रालय कानून और न्याय मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय इत्यादि। वृद्धजनों के स्वास्थ्य रक्षा के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत 288 करोड़ रुपये की लागत से कार्यक्रम चलाने की शुरूआत की गई है। इसमें स्वास्थ्य से सम्बन्धित पैकेज का प्रबन्ध किया जा रहा है।

कुछ महत्वपूर्ण संस्थात्मक व्यवस्था वृद्धजनों से सम्बन्धित लागू करने की व्यवस्था की गई है। जैसे The maintenance and welfare of parents and senior citigine Act, 2007. यह संसद द्वारा दिसम्बर 2007 में बनाया गया। 21 राज्यों में इसे लागू भी कर दिया गया है। 6 यूनियन क्षेत्र (UTs) में लागू किया गया है। कोशिश की जा रही है कि अन्य राज्यों में भी इसे लागू किया जाये।

परन्तु यह एक्ट जन्मू कश्मीर में नहीं लागू किया जा सकता है। जिन राज्यों में इसे अभी लागू करना है, उन राज्यों के नाम हैं मणीपुर, उत्तर प्रदेश, बिहार, मेघालय, सिक्किम तथा अन्डमन और नीकोबार।

एक National council for older persons (NCOP) की स्थापना 1999 में बनाया गया। सामाजिक न्याय और सहायता मंत्रालय के अध्यक्ष का यह कर्त्तव्य होता है कि इनके द्वारा बनाये गये कानूनों को लागू करे। NCOP सरकार को वृद्धजनों से सम्बन्धित नीतियों को बनाने में उनहें मदद करता है। यह कांउसिल को फिर से 2005 में बनाया गया जो साल में कम से कम एक बार जरूर मिलते हैं।

यह काउंसिल ने अपनी मीटिंग 30 सितम्बर 2008 को International Day of oldr Persons के दिन रखा था, जिसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय, वृद्धों से सम्बन्धित, किये गये ।

4.4 विकलांगों के लिये राष्ट्रीय नीति अथवा समाज कल्याण नीति (Social Welfare Policies for Handicapped Persons with Disabilities)

भारतीय संविधान सभी को समानता, स्वतन्त्रता, न्याय तथा स्वाभिमान से जीने का अधिकार देती है जिनमें नि:शक्ताग्रस्त या विकलांग भी शामिल हैं । इधर के कुछ सालों में लोगों की मानसिकता में नि:शक्तजनों के लिये काफी बदलाव आया है । अधिकतर ऐसे व्यक्ति अब अच्छी जिन्दगी जी सकते हैं ।

लम्बे समय से विकलांगों के लिये एक राष्ट्रीय नीति की आवश्यकता महसूस की जा रही थी । शासन की बहुत सारी स्कीम इस ओर कार्य कर रही हैं ।

2001 के सेन्सस (Census को यदि देखा जाये तो उसके अनुसार 2.19 करोड़ व्यक्ति विकलांगों की सूची में, भारत के अन्दर हैं । इनका प्रतिशत 2.13% पूरी आबादी का है । इसमें बहिर, अन्धे, नि:शक्त, मूल तथा मानसिक रूप से नि:शक्त सभी आते हैं । इनमें से 75% नि:शक्त (disabled) गाँवों में ग्रामीण क्षेत्र (Rural area) रहते हैं और 49% ऐसे व्यक्ति पढ़े लिखे शिक्षित हैं, परन्तु सिर्फ 34% ही इनमें से कार्यरत हैं (Employed) परन्तु आज लोग इनको समझने लगे हैं । विकलांग होने के बावजूद भी लोग इनकी योग्यता को समझ रहे हैं और उन्हें सबके साथ मिलकर कार्य करने के लिये प्रेरित किया जा रहा है ।

भारत सरकार ने तीन विधेयक नि:शक्तजनों के लिये बनाये हैं :–

1. परसन्स विथ डिसएविलिटी एक्ट, 1995 (Persons Disability Act, 1995) इस एक्ट के अन्तर्गत शिक्षा, नौकरी (Employment), स्वच्छ वातावरण में रहना इत्यादि आता है ।
2. National trust for welfare of persons with autisun, cerelral palsy, Neutral retardation and multiple disability Act 1999 के अन्तर्गत स्वतंत्र रूप से रहना तथा इसके लिये उचित वातावरण बनाना इत्यादि आता है ।
3. Relabilitation council of India Act 1992 के अन्तर्गत नि:शक्तों के पुनर्वास की व्यवस्था करना ।

इस प्रकार न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत विस्तृत रूपरेखा अपनाई गई है । निम्नलिखित सात (7) राष्ट्रीय संस्थायें कार्यरत हैं जो नि:शक्तों के लिये अलग-अलग दिशाओं में प्रयासरत हैं :–

1. Institute for the Physically Handicapped New Delhi.
2. national Institute of visually Handicapped, Dehradun.
3. National Institute for Orthopaedically Handicapped, Rorkal.
4. National Institute for Mentally Handicapped, Secundrabad.
5. National Institute for Hearing Handicapped, Mumbai.

6. National Institute of Rehabilitation Training and Research, Cuttak.
7. National Institute for Empowerment of persons with multiple disabilities, Chennai.

इसके अतिरिक्त नि:शक्तजनों के पुनर्वास के लिये भी पाँच पुनर्वास सेन्टर की स्थापना की गई है, चार अलग-अलग क्षेत्रों में तथा 120 जिलों में भी पुनर्वास का प्रबन्ध इन व्यक्तियों के लिये किया गया है जहाँ इन्हें अलग-अलग तरह की शिक्षा एवं प्रशिक्षण दिये जाते हैं। स्वास्थ्य तथा कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health and family welfare) के अन्तर्गत भी अनेक संस्थायें खोली गई हैं जो विकलांगों के हित में कार्य कर रही है। ये विकलांगों के पुनर्वास तथा उनकी स्थापना में भी मदद करती हैं। जैसे-

1. नैशनल स्कूल ऑफ मेन्टल हेल्थ (Nationa Scholl of Mental Health and Neuro Science, Bangalore.)
2. ऑल इन्डिया इन्स्टीच्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसीन एण्ड रीहेबिटेशन मुम्बई (All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation, Mumbai.)
3. ऑल इन्डिया इन्स्टीच्यूट ऑफ स्पीच एण्ड हीयरिंग, मैसूर (All India Institute of Speech and Hearing, Mysore.)
4. सेन्ट्रल इन्स्टीच्यूट ऑफ साइक्रियाट्री, राँची (Central Institute of Psychiatry, Ranchi.) इत्यादि।

कुछ राज्य सरकारें भी विकलांगों के लिये पुनर्वास (Rehabilitation) की व्यवस्था के लिये संस्थाओं का निर्माण कर रही हैं। कुछ प्राइवेट संस्थायें भी इस ओर कार्य कर रही हैं।

नैशनल हैन्डीकैप एण्ड फाइनेन्स डेवलपमेन्ट कारपोरेशन (National Handicapped and Finance Development Corporation (NHFDC)) भी कम सूद पर विकालाकगों को लोन देकर उन्हें अपने पैड़ों पर खड़े होने में सहायता प्रदान कर रही हैं, जिससे अपनी आजीविका स्वयं ढूंढ सकें।

ग्रामीण स्तर पर भी पंचायती राज्स संस्थाओं द्वारा तथा जिला स्तर पर भी विकलांगों के कल्याण के लिये सतत प्रयत्न किये जा रहे हैं। नि:शक्तताग्रस्त व्यक्तियों हेतु राष्ट्रीय नीति 2005 (National Policy for Handicapped persons, 2005)

दिसम्बर 2005 में घोषित राष्ट्रीय नि:शक्तजन नीति के द्वारा उनके अधिकारों की रक्षा, पुनर्वास, शिक्षा तथा आर्थिक उन्नयन सहित नि:शक्तता की रोकथाम के प्रयासों को प्राथमिकता दी गई है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारता मन्त्रालय द्वारा निर्मित नि:शक्तताग्रस्त व्यक्तियों के लिये राष्ट्रीय नीति" के मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं :-

1. नि:शक्ताओं की रोकथाम पर बल देनला।
2. उन लोगों का समुचित पुनर्वास करना तथा भौतिक पुनर्वास नीतियों की व्यवस्था करना।
3. नि:शक्तग्रसत व्यक्तियों का तत्काल पता करना; उनकी चिकित्सा, परामर्श एवं पुनर्वास हेतु शीघ्र कदम उठाना।
4. ऐसे व्यक्तियों के लिये सहायक उपकरणों तथा उनसे सम्बद्ध पेशेवर व्यक्तियों का विकास करना।

5. ऐसे व्यक्तियों की शिक्षा, प्रशिक्षण तथा रोजगार एवं स्वरोजगार के समुचित कदम उठाना ।
6. नि:शक्तताग्रस्त महिलाओं को निर्बाध वातावरण प्रदान करना ।
7. नि:शक्तता प्रमाण पत्र देने, ऐसे व्यक्तियेां की सामाजिक सुरक्षा करने तथा इन्हें मनोरंजन एवं सांस्कृतिक गतिविधियों से जोड़ने के क्रम में बाधाओं को दूर करना और
8. नि:शक्तता के समस्त पक्षों पर अनुसन्धान कार्यों को बढ़ावा देना तथा गैर सरकारी संगठनों से सामंजस्य स्थापित करना ।

राष्ट्रीय नीति का विवरण (विकलांगता के संदर्भ में) (Nationa Policy Statement (with Relation to Disabilities))

राष्ट्रीय नीति द्वारा इस बात को स्वीकार किया गया है कि नि:शक्त (Disabled) व्यक्ति भी देश के लिये एक महत्वपूर्ण संसाधन (Resource) है, इसलिये ऐसा वातावरण तैयार किया जाना चाहिये जिससे उन्हें समाज में समान अवसर, सुरक्षा, उनके अधिकार और समाज में भाग लेने का मौका मिलना चाहिये । इसलिये राष्ट्रीय नीति का ध्यान (Focus) निम्नलिखित बातों पर होना चाहिये ।

1. **नि:शक्तता को रोकने का प्रयास**–ऐसा देखा गया है कई नि:शक्तता के मामलों को रोका जा सकता है । जेसे वैसी बिमारियों जिससे विकलांगता या नि:शक्तता होती है, उसे रोकने का प्रबन्ध किया जाना चाहिये । ऐसे अनेक दवाइयाँ और टीकाकरण निकले हैं जिससे अनेक ऐसी बिमारियों को रोका जा सकता है जैसे पोलियो इत्यादि ।
2. **पुनर्वास के प्रयास (Rehabilitation Measures)**–भारत सरकार इसके लिये बहुत प्रयास कर रही है । नये-नये उपकरण नि:शक्तता को दूर करने के लिये बनाये जा रहे, जिससे ऐसे व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से स्वतन्त्र रह सकें । इसके लिये नये तरह के व्हील चेयर (Wheel chair), तिनपहिया साइकिल, (Artificial leg) बनावटी जैयपूर पैर, ब्रैली लिखवट, डिक्टाफोन, टेप रिकार्डर, कान की मशीन (Hearing Aid), इत्यादि ।

भारत सरकार छात्रवृति भी देती है जिससे नि:शक्त बच्चे अपनी पढ़ाई आगे बढ़ा सकें । उनके तकनीकी तथा वोकेशनल शिक्षा की भी व्यवस्था सरकार करती है जिससे वे अपना कौशल निखार सकें । स्वैच्छिक संस्थाओं को भी वोकेशनल प्रशिक्षण देने के लिये सरकार प्रेरित करती है ।

आर्थिक पुनर्वास भी विकलांगों के लिये महत्वपूर्ण ही नहीं आवश्यक भी है । इसके लिये PWD ऐक्ट 1995 इनके लिये 3% आरक्षण की व्यवस्था सरकारी कार्यालयों में किया गया है । अलग-अलग ग्रूप को सेवाओं के लिये अलग-अलग परसेंटेज निर्धारित किया गया है । कुछ पद जो PWD ऐक्ट 1995 द्वारा आरक्षित किये गये थे उसे 2001 में फिर से रिवाईज किया गया है । निजी क्षेत्रों में भी (Private sector) इनके लिये आरक्षण की व्यवस्था की गई है ।

3. **नि:शक्तता ग्रस्त महिलायें (Women with Disabilities)**–2001 सेन्सस (Census 2001) के अनुसार करीब 93.01 लाख महिलायें नि:शक्त (विकलांग) हैं, जो पूरी जनसंख्या का 42.46% होता है। नि:शक्त महिलाओं को अधिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है क्योंकि एसी महिलाओं पर अत्याचार एवं अपशब्द अधिक होते हैं। इसके लिये सरकार कृतबद्ध है और उनके यि होस्टल, घरों की व्यवस्था करता है जो नि:शक्त महिलायें किसी प्रकार का कार्य करती हैं।

4. **नि:शक्त बच्चे (Children wtih Disabilities)**–ये सबसे महत्वपूर्ण है और इन अधिक ध्यान देने की आवश्यकता हैं इनके स्वास्थ्य, शिक्षा तथा वोकेशनल प्रशिक्षण तथा पुनर्वास की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। नि:शक्त बच्चों को अधिक ध्यान से रखने की आवश्यकता है। इनके लिये ऐसा वातावरण बनाने की आवश्यकता है जिससे वे अपनी विकलांगता को ध्यान में न रखें और रोजमर्र की जिन्दगी में भाग ले सकें।

5. **विकलांगता प्रमाण पत्रों को देना (Issue of Disability Certificate)**– प्रत्येक विकलांग व्यक्ति को प्रमाण पत्र आसानी से मिले, सरकार इसकी व्यवस्था करती है। कम से कम समय मे उन्हें यह प्रमाण पत्र मिलने की व्यवस्था होनी चाहिये।

6. **सामाजिक सुरक्षा (Social Security)**–निशक्त या विकलांगों को अधिक खर्च होते हैं क्योंकि उनके स्वास्थ्य के लिये, उनकी दवाइों के लिये, उनके आवागमन पर और अन्य चीजों पर भी पैसे की आवश्यकता होती है। अत: उनकी आर्थिक स्थिति के लिये सामाजिक सुरक्षा बहुत ही आवश्यक है। इसके लिये केन्द्र सरकार अैक्स में फायदा उन्हें तथा उनके परिवार वालों को भी देती है। राज्य सरकार उसके लिये, जो व्यक्ति किसी प्रकार की नौकरी में नहीं है, उसे आर्थिक सहायता प्रदान करती है

7. **स्वैच्छिक संस्थाओं को इसके लिये आगे बढ़ाना (Promotion of Non-Government Organisations (NGOs)**–राष्ट्रीय नीति यह स्वीकार करती है कि ऐच्छिक संस्थायें एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है जो इनके लिये सबसे महत्वपूर्ण सेवा प्रदान कर सकते हैं।

8. **नि:शक्तजनों की बराबर जानकारी प्राप्त करना (Collection of Regular Information on Persons with Disabilities)**–नि:शक्तों से सम्बन्धित बराबर जानकारी, डाटा जमा करना इत्यादि बहुत ही आवश्यक है। पाँच साल में एक बार यह होना आवश्यक है। इस क्षेत्र में भी इनके जीवन के स्तर को ऊँचा करने के लिये रिसर्च की व्यवस्था सरकार की ओर से किये जा रहे हैं।

9. **विकलांगों के लिये बिना रोकटोक स्वतन्त्र वातावरण तैयार करना (Barries-free-eviornment)**–जिससे विकलांग व्यक्ति आसानी से खुले वातावरण में भ्रमण कर सकें। उनके आने जाने के रास्ते में कोई अड़चन ना आये।

10. **खेल कूछ औश्र सांस्कृतिक कार्यक्रम चलाना (Sports, Re-ereation and cultureal life)**–खेलकूद औश्र सांस्कृतिक कार्यक्रम विकलांगों को आगे बढ़ने में मदद करते हैं तथा उन्हें आनन्दित भी रखते हैं। इसलिये उन्हें इसका पूरा अवसर देना चाहिये।

11. बनाये गये नीतियों और एक्टों में बदलाव एवं सुधार करना (Aindements to existing Acts dealing with the resous with disabilities)—दस साल से ज्यादा बीत गये हैं जब ऐक्ट 1995 बनाया गया था। परन्तु इनते सालों में बहुत सारी बातें सामने आई है, इसलिये इस ऐक्ट में कुछ बदलाव की आवश्यकता एवं जरूरत है। अत: यदि आवश्यकता पड़ी तो कुछ बदलाव ऐक्ट में किया जा सकता है।

4.5 राष्ट्रीय स्तर पर किन्नरों की लिये समाज कल्याण नीति (Social Welfare Policies for Trans-Genders at National Level)

पुराने समय में किन्नरों (Trans-Gender) देवी का वरदान माना जाता था। परन्तु जैसे-जैस समय बीतता गया इनका स्तर गिरता चला गया। पहले सभी स्थानों पर जैसे-शादी ब्याह का स्थान, बच्चे की पैदायशी पर जश्न जैसे स्थानों में बिना किन्नरों के गाने बजाने के बिना कार्यक्रम का समापन नहीं होता था। परन्तु आज ये कठिन परिसिितियों में रह रहे हैं और अपनी रोज की जिन्दगी में एक दाग (Stigma) की तरह हैं। अत: इस ओर लोगों के दृष्टिकोण को बदलना होगा। इनके लिये भी राष्ट्रीय स्तर पर नीति की आवश्यकता है जिससे इनका कल्याण हो सके।

23 अगस्त 2013 में, दिल्ली में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से एक भारत सरकार के पदाधिकारियों तथा अन्य सामाजिक कार्यकर्त्ताओं के बीच एक विचार विमर्श मीटिंग की व्यवस्था, किन्नरों की (TG) समस्या से सम्बन्धित विषय को लेकर की गई। इस सभा (Meating) में विधि एवं न्याय मन्त्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, तथा इनसे सम्बन्धित विभाग, ऐच्छिक संस्थायें (NGO), विश्व विद्यालय के प्रोफेसर, किन्नरों की ओर से उनके लीडश्र इत्यादि लोगों ने एवं विभागों ने भाग लिया।

किन्नरों की समस्याओं पर स्वतन्त्रता के पहले और स्वतन्त्रता के बाद भी सरकार का ध्यान नहीं गया। परन्तु धीरे-धीरे, जैसे-जैसे इनको संख्या में वृद्धि होने लगी, इनकी समस्यायें सामने आई, तो किन्नरों ने भी आवाज उठानी शुय की। औश्र तब सरकार का ध्यान भी उनकी ओर जाने लगा। परन्तु इस ओर उनसे सम्बन्धित नीति बनाने की दिशा में अधिक कार्य नहीं हो पाया ं यह एक आश्चर्य ही माना जायेगा कि सामजिक और अधिकारिता मंत्रालय ने पहली बार किन्नरों से सम्बन्धित विचार विमर्श मीटिंग बुलाई थी। इस प्रकार इस मीटिंग को किन्नरों के कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम कहा जा सकता है। मीटिंग इसलिये भी महत्वपूर्णकही जायेगी क्योंकि इसमें पहली बार किन्नरों के लिये, कल्याण के, क्या किया जा कसता है या क्या नीति बनाई जा सकती है।

वैसे तो सामाजिक न्याय और अृाकारिकता मन्त्रालय को किन्नरों से सम्बन्धित विषय के लिये मन्त्रालय को प्रमुख मन्त्रालय (Nodal Ministry) के रूप में जुलाई 2012 को चिन्हित (Designated) किया गया। इनके साथ कुछ दूसरे मंत्रालय एवं विभागों को भी शामिल किया गया। मंत्रालय ने किन्नरों के सम्बन्ध में लोगों के नजरिया को बदलने का भार डठा लिया है।

कुछ राज्यों में तो किन्नरों के लिये तो कल्याण के कार्य की शुरूआत भी हो गई है। जैसे सिक्किम,

राजस्थान और टामिलनाडू में किन्नरों के लिये पेंशन की व्यवस्था की गई है । राजीव आवास योजना के अन्तर्गत ग्रामीण मन्त्रालय (Rural Ministry) उन्हें रोजगार भी दे रही है । सिक्किम में इनके लिये मेडिकल बार्ड की स्थापना भी की गई है । एक स्पेशल कमिटी की स्थापना भी इनके लिये की गई है ।

थाईलैन्ड को किन्नरों के लिये एक मॉडेल (Model) देश माना जाता है, जहाँ किन्नरों (Trans-Gender) के लिये सभी सुविधायें प्रदान की जाती है ।

चूँकि अधिकतर किन्नर गरीब और पढ़ेलिखे (अशिक्षित) नहीं हैं और सिर्फ भारत सरकार ही एक महत्वपूर्ण जरिया (Source) है जो किन्नरों को समाज में उपर उठाने में तथा उनके पुनर्वास की व्यवस्था कर सकता है । अत: इस दिशा में सरकार उनके लिये स्वास्थ्य तथा निवास से सम्बन्धित कल्याण के कार्य कर सकती है । टामिलनाडू में इसके लिये प्रत्येक किन्नरों को 2000/- रु० प्रत्येक महीने प्रदान किये जाते हैं ।

एक संस्था 'आरोहन' (Aarohan) जो रानी पटेल द्वारा प्रस्तावित है और एक स्वैच्छिक संस्था के रूप में कार्य कर रही है, बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्यक्रम गरीब बच्चों के लिये चला रही है, किन्नरों के लिये भी बहुत सारी कार्यक्रमों का स्टडी (study) किया है । इसका को किन्नरों के सम्बन्ध में काउसिलिंग करना चाहिये, जिससे वे अपने किन्नर बच्चे को अपने दूसरे बच्चों के साथ बराबरी का व्यवहार करें । किन्नरों को वोकेशनल प्रशिक्षण देने की भी व्यवस्था की जानी चाहिये जिससे वे अच्छी जीवन बिता सके ।

भारत चुनाव आयोग के (Election Commission of India) द्वारा दिये गये खबर के अनुसार कमिशन ने 1960 के अलेकटोरल रोल के रेजिस्ट्रेशन के रूल 4 (Rule 4 of the Registration of Electoral Roll, 1960) के अनुसार किन्नरों को लिंग सम्बन्धी विषय पर जहाँ वे नहीं बताना चाहते हैं कि वे स्त्री हैं या पुरुष, 'दूसरा' (Other) शब्द लिखने की अनुमति दे रखी है । और इन्हें फोटो आइडेन्टीटी कार्ड बनबाने की भी सुविधा प्रदान की गई है ।

दिल्ली में समजा कल्याण विभाग न` किन्नरों के लिये वृद्धावस्था पेंशन (Olde Age Pension) देने की भी व्यवस्था की है । प्रत्येक महीने उन्हें 1,000/- रु० दिया जाता है । इससे यह भी फायदा है कि इस स्कीम के द्वारा कितनी संख्या है उनकी इसकी जानकारी प्राप्त होती है । टामिलनाडू ने भी इस दिशा में अनेक कार्य किये हैं ।

इस प्रकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जो विचार मीटिंग में रखे गये थे उसके आधार पर निम्नलिखित महत्वपूर्ण अवलोकन (Observation) किये गये :–

1. एक कमिटी बनाने की योजना बनाई जाये, जो किन्नरों से सम्बन्धित समस्याओं को देखे और ध्यान दे जिसमें किन्नर वर्ग से भी सदस्य लिये जायें ।
2. चुनाव आयोग ने जो 'दूसरा' (other) शब्द रखा है उसकी जगह 'Trans gender' होना चाहिये ।
3. उनके स्वास्थ्य तथा उनके सेक्स से सम्बन्धित दोस्ती का व्यवहार किया जाना चाहिये ।
4. जिला अधिकारियों को यह बताना चाहिये कि इन्हें कोई तंग ना करे ।

5. सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय (MSJE) इनसे सम्बन्धित शोध कार्यक्रम (Research) चलायें जिससे उनकी दुविधा का हल हो सके। और जैसा कि टामिलनाडू, महाराष्ट्रा, सिक्किम तथा दिल्ली में इनके कल्याण के लिये कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं, वैसा अन्य सभी राज्यों में भी चलाने की व्यवस्था की जाये। इसके लिये MSJE द्वारा राजीव गाँधी आवास योजना, इन्दिरा आवास योजना और दूसरे कार्यक्रम भी जरूरतमंद किन्नर वर्गों को दिया जा सकता है। इन्हें शिक्षित करने का कार्यक्रम तथा विकास के कार्यक्रमों को मिलकर आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।

इस प्रकार देखा जाये तो सरकार का ध्यान अब इस ओर जा रहा है। परन्तु अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। इनसे सम्बन्धित ऐसी नीति नहीं बनाई गई है जिससे उनका पूर्ण विकास हो।

4.6 युवाओं के लिये समाज कल्याण नीति राष्ट्रीय स्तर पर (Social Welfare Policies for Youth at Natinal Level)

सबसे पहले तो चुवा वर्ग किसे कहेंगे उसकी परिभाषा जानना आवश्यक है। क्योंकि आज सभी उम्र के लोग युवा वर्ग में आना चाहते हैं। अत: युवा नीति के अन्तर्गत यदि देखा जाये तो इंकर देश में 13 साल से लेकर 35 साल के सभी व्यक्ति इस वर्ग के अन्तर्गत आते हैं। परन्तु इन सभी (अर्थात् 13-35 वर्ष) को एक ही वर्ग में नहीं रखा जा सकता है। अत: इसे दो बड़े उम्र वर्ग में बाँटा जा सकता है जैसे 13-19 वर्ष तथा 20 से 35 वर्ष। वैसे युवा जो 13 साल से 19 साल के उम्र के अन्तर्गत आते हैं उनहें किशोरावस्था के अन्तर्गत रखा जा सकता है। क्योंकि इस अवस्था में युवा बच्चे से युवा की ओर बढ़ते हैं और उनमें शारीरिक एवं मानसिक बदलाव होता है। अत: इस उम्र (13-19) के युवाओं का अलग वर्ग रखा जाना उचित एवं स्वाभाविक है।

राष्ट्रीय युवा नीति के उद्देश्य (The Objective of the National Youth Policy)

राष्ट्रीय युवा नीति के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :-

1. युवाओं को अच्छे नागरिकता का विकास करना जिससे वे सामाजिक सेवा (Community service) की ओर उन्मुख हो सकें।
2. युवाओं में धर्मनिरपेक्षता की भावना को जागृत करना तथा संविधान के अन्दर जो मानवीय भावना का जिक्र किया गया है उस भावना पर चलना एवं राष्ट्रीय सुरक्षा औश्र देशभक्ति, सामाजिक न्याय, राष्ट्रीय एकीकरण तथा भहिंसा के रास्ते पर चलना।
3. युवाओं में भारत के इतिहास और भारत की संस्कृति की जानकारी जगाना।
4. युवाओं को शिक्षण और प्रशिक्षण द्वारा आगे बढ़ाना जिससे उन्हें नौकरी में परेशानी ना हो।
5. युवाओं के बीच एक ऐसा सामाजिक वातावरण तैयार करना जिससे वे मादक पदार्थों से दूर रहें औश्र इससे सम्बन्धित बिमारियों जैसे HIV, AIDS से दूर रहें औश्र अपने ऊर्जा को दूसरे अच्दे कार्यों में लगायें और इसके लिये खेलकूद तथा कुछ अचदे कार्यों में अपने को लगाये।

6. युवाओं को हमेशा आगे बढ़ने के लिये प्रेरित करना जिससे वे अपने चरित्र का उचित विकास कर सके और विकासात्मक कार्यों में अपना योगदान दे सकें ।

7. अन्तर्राष्ट्री स्तर पर भी युवाओं को मिलकर कार्य करने चाहिये जिससे विश्व में शांति की स्थापना की जाये ।

8. युवाओं को स्वैच्छिक संस्थाओं के कार्यों में आपसी मेलमिलाप और सद्भावना के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये ।

9. प्राकृतिक साधनों को बनाये रखने के लिये युवाओं को प्रेरित करना और इसके लिये भारत में ही नहीं, बल्कि विश्व के अन्य देशों में भी भ्रमण करना चाहिये । इससे एकता में अनेकता वाली कहावत चरितार्थ होगी ।

यह नीति कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों को युवाओं के लिये महत्वपूर्ण मानती है जैसे-शिक्षा, प्रशिक्षण एवं नौकरी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, साइन्स और टेक्नोलोजी, कला एवं संस्कृति, खेलकूद, वातावरण की रक्षा तथा अच्छा नागरिक इत्यादि ।

इस नीति का ध्यान युवाओं के स्वास्थ्य पर भी है जैसे उनके पूर्ण स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, इश्वरीय स्वास्थ्य, AIDS इत्यादि ।

यह नीति मुख्य रूप से वैसे युवाओं के लिये ज्यादा महत्व रखते हैं जो वुस्त स्कूल से निकल कर बाहर आये हैं, किशोरावस्था खासकर वैसी किशोरियों की किशोरावस्था या मानसिक रूप से नि:शक्त होती हैं, स्ट्रीट बच्चें तथा टैफिकिंग (Trafficking) के शिकार युवा तथा बिना माँ बाप के बच्चे (orphaus), ग्रामीण तथा जनजति युवा इत्यादि ।

युवाओं के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम (National Programme for Youth)

11th पंचवर्षीय (11th Five year plan) योजना के अन्तर्गत युवा एवं खेल मंत्रालय (Ministry of Youth Affairs and Sports) के अन्तर्गत 100% कार्यक्रम, युवाओं से सम्बन्धित इसके क्षेत्र के अन्तर्गत लाये जायेंगे ।

इनमें प्रमुख बातें है युवाओं का अपनी व्यस्तित्व तथा अपने व्यक्तित्व का विकास । राष्ट्रीय एकता को आगे बढ़ाना इसके लिये वैसे कैम्प की स्थापना की जानी चाहिये जिससे राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिले, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिये युवाओं को दूसरे राज्य में जाकर एक दूसरे से मिलना चाहिये तथा यूथ फस्टीवल (Youth Festival) जैसे कार्यक्रमों को प्रत्येक वर्ष मिलकर मनाया जाना चाहिये, राज्य स्तर पर भी राष्ट्रीय स्तर पर भी । युवाओं के साहसिक कार्यों को बढ़ावा देना । किशोरों में विकास और शक्तिकरण (Eupowrment) को बढ़ावा देना । इसके अन्तर्गत इन्हें ऐसी शिक्षा देना जिससे वे अपनी कला को निखार सकें, उनको आगे बढ़ने के लिये तथा अपना कैरियर बनाने के लिये सलाह देना इत्यादि आते हैं । और अन्त में युवाओं और किशोरों के लिये समय-समय पर अच्छा वातावरण तैयार करना, एक्जीविशन (Exibition), कौनफरेन्सेज इत्यादि की व्यवस्था करना ।

इन कार्यक्रमों को चलाने के लिये युवाओं से सम्बन्धित अनेक कार्यक्रम (Schemes) लागू किये गये हैं जैसे (A) All India Organisation के अन्तर्गत ।

1. नेहरू युवा केन्र संगठन (Nehru Yuva Kindra Sangathan).
2. National service scheme for NSS units.
3. Bharat Seouts and Guides.
4. Universities includinjg deeved university.
5. Association of Indian universities.
6. Himalayan Mountaineering Institute, Indian Mountaineering.

Foundation, Jawahar Institute of mountainireing and writer sports and other adventure institutes orgnised by the ministry.

(B) राज्य स्तर संगठन के अन्तर्गत :–

1. राज्य सरकार, राज्य के विभाग, युवाओं के लिये निदेशालय, जिला स्तर पर जिला स्तर के पदाधिकारी जो युवाओं के कल्याण के लिये कार्यरत हैं ।
2. पंचायती राज संस्था तथा शहरी स्थानीय निकाय ।
3. शिक्षा संस्थायें जिसमें पौलिटेकनिक भी शामिल हैं ।
4. स्वैच्छिक संस्थायें, (NGOs) तथा वैसी संस्थायें जो सरकारी नहीं है । (Mpm-governmental organisation) ये सोसायटी रेजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड हैं ।

नेहरू युवा केन्द्र (Nehru Yuva Kendra)

नेहरू युवा केन्द्र की शुरूआत 1972 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया था, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के युवा छात्रों के किये देश के कार्यक्रम में भागीदारी करना तथा उन्हें आगे बढ़ाने में मदद करना है । 1987 में उन सभी केन्द्रों को फिर से संगठित किया गया जो नेहरू युवा केन्द्र के अन्दर थे । इन्हें पुनः संगठित किया गया और से एक स्वतंत्र संस्था के रूप में विकसित किया गया । इसके यिल एक रेजुलेशन (Resoution) पास किया गया, और इसे एक युवा के सम्बन्धित संगठन बनाया गया जिसका नाम नेहरू युवा केन्द्र संगठन (NYKS) रखा गया । उसके बाद भारत में इसकी संख्या बढ़कर 501 जिलों में इसके केन्द्र खुल गये हैं ।

संगठन (Structure) :-

नेहरू युवा केन्द्र संगठन का बनावट चार तह का है । (Four lier structure) इसके शीर्ष पर बोर्ड और गवरनर होते है। । युवा एवं खेल कूद मंत्रालय के (मिनीस्टर) सभी मंत्री इसके एक्स ऑफिसियों (Ex-officio) अध्यक्ष होते हैं । इसे राज्य मंत्री उपाध्यक्ष होते हैं । इसके अतिरिक्त भी दो तीन उपाध्यक्ष होते हैं, जो लोक सभा या राज्य सभा से लिये जाते हैं । कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारी युवा एवं खेल–कूद मंत्रालय से लिये जाते हैं । पूरे देश को 28 जोन में बाँटा गया है, जो युवाओं से सम्बन्धित कार्यक्रमों को तथा नीतियों को लागू करते हैं ।

ग्रामीण क्षेत्र में भी इसके कार्यक्रम फैले हुये हैं। नेहरू युवा केन्द्र संगठन प्रत्येक क्षेत्र में युवाओं से सम्बन्धित कार्यक्रम चलाते हैं।

इसके अतिरिक्त युवाओं के चतुर्दिक विकास के लिये स्काउट और गाइड (Scouting and Guiding) जैसी संस्था है। जिसमें 6 साल से 35 साल तक के बच्चें से लेकर युवा तक सदस्य होते है।। इसमें लड़के और लड़कियों दोनों इसके सदस्य होते हैं।

युवाओं के लिये सरकार की आरे से राष्ट्रीय युवा पुरस्कार की भी व्यवस्था की है।

उपर बताये गये सारे कार्यक्रम संघ सरकार द्वारा संचालित किये जाते हैं। राज्य सरकार भी युवाओं के लिये कार्यक्रम चलाती है। राज्य सरकार का उद्देश्य इन कार्यक्रमों के द्वारा युवाओं को अधिक से अधिक सामाजिक महत्व के कार्य एवं विकास में इनकी भागीदारी करना है। इसके लिये इन्हें कम्पयूटर का प्रशिक्षण भी दिया जाता है तथा साथ-साथ युवा लीडरशिप की ट्रेनिंग भी दी जाती है।

बिहार सरकार भी युवाओं को आगे बढ़ाने में विशिष्ट भूमिका निभाई है। चूँकि बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में लोक काफी पीछे है अत: बिहार सरकार किशारों को तथा युवाओं को प्रारम्भिक विद्यालयों से लेकर विश्व विद्यालय तक सभी को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने की व्यवस्था कर रहा है। इसके लिये मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना और मुख्यमंत्री बालक साइकिल योजना का प्रावधान किया गया है। युवाओं के विकास के लिये मुख्यमंत्री शैक्षणिक भ्रमण योजना 2007-08 से अबतक संचालित की जा रही है। प्रारम्भिक शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाने, कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण देने की कार्य योजना का विस्तार करने के लिये मिशन गुणवत्ता कार्यक्रम चलाया गया है।

इस प्रका केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार दोनों ही युवा नीति और उससे सम्बन्धित कार्यक्रमों की आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है।

4.7 राष्ट्रीय स्तर पर नशा करने वालों के लिये समाज कल्याण नीति (Social Welfare Policies for Drug Addicts at National Level)

भारत में मध्यव्यसनता (नशा करना एवं शराब पीना) नई पीढ़ी में जोरों से फैलता जा रहा है। परन्तु भारत में इस व्यसन को फैलने से पहले अमेरिका में 20वीं शताब्दी में यह काफी तेजी से इस व्यापन को प्रचलन हो रहा था। और इस कारण 20वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में अनेक सामाजिक नीतियों के निर्माण किये गये।

नशे की प्रवृति का चलन 20वीं शताब्दी से शुरू हुआ है। और सबसे पहले अमेरिका इसकी जन्मस्थली कहा जा सकता है। मध्यव्यसनता किसी भी देश की सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र को खोखला कर देता है। समाज में अपराध का प्रमुख कारण नशा है। क्योंकि नशे की लत एक ऐसी लत है जिसके नहीं मिलने पर व्यकित पागलों जैसा वर्ताव करने लगता है, तथा नशे के लिये चोरी, डकैटी तक शुरू कर देता है, बल्कि कभी-कभी तो इसके लिये वह किसी की जान भी ले सकता है।

नशा एक ऐसा व्यापन है जिसके बारे में सभी लोगों में यह चेतना नहीं है कि इसके व्यक्तियों के स्वास्थ्य

पर कितना असर पड़ता है । सिर्फ स्वास्थ्य पर ही असर नहीं पड़ता बल्कि इससे अनेक खतरनाक बीमारियाँ भी होती हैं जैसे- पीलिया (Joundice), T.B. (Tuberantasis), HIV इत्यादि । इन बिमारियों के अलावा जो व्यक्ति शराब पर पूर्ण रूप से निर्भर हो जाते हैं उनके लिवर, पैंक्रीयाज तो खराब होते ही हैं, बल्कि इससे हमारे अन्दर बिमारियों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो समाप्त हो जाती है । इससे उनके स्वास्थ्य में बराबर गिरावट होती रहती है । और वे बिमारियों से उभर नहीं पते हैं । अत: दीवानी न्याय, सवास्थ्य सेवा और समाज कल्याण के लिये मध्यव्यसनता (नशा और शराब) एक प्रमुख कारण है ।

नशा एवं शराब के व्यसन से होने वाले सामाजिक और आर्थिक लागत को (cost) यद्यपि हम कभी भी नहीं समझ सकते क्योंकि ये समाज को इतना अधिक खोखला कर रहे हैं कि 21वीं सदी में इसकी कीमत चुकाना मुश्किल है । मध्यव्यसनता को लेकर आगे आने वाला समय बहुत कठिन समय से गुजरने वाला होगा । अमेरिका में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान दी नैशनल इन्स्टीच्यूट ऑफ ड्रग ढब्यूज (The National Institute of Drug Abuse (NIDA)), और नैशलन इन्स्टीच्यूटर ऑन अलकाहोल अब्यूज एण्ड एलको होलिज्म (National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA 1992), ने अपनी रिपोर्ट में यह बतालाया है कि शराब एवं नशा पर करीब 246 विलियन डॉलर (शराब पर 148 विलियम डॉलर और नशा खुरानी पर 98 विलियन डॉलर) खर्च होता है । अर्थात् नशे की लत लगने पर स्वास्थ्य से सम्बन्धित समस्याओं के समाधान पर नशा और शराब से सम्बन्धित बिमारियों पर इतना अधिक खर्च आयोग जिसे पूरा करना किसी भी सरकार के लिये मुश्किल होगा । अत: नशा को आगे बढ़ाने वालों के खिलाफ सरकार ने कड़े नीतियों का निर्माण कमर कस कर (War footing) करना शुरू किया । और इसके लिये नशे को चीजों को बेचने वालों के लिये तथा जो इसका इस्तेमाल करते हैं उनसभी के लिये कड़े नीति का निर्माण किया है ।

भारत मं मध्यव्यसनता (Drug Edicts in India)

भारत में शराब एवं नशे की लत एक सेत्रीन व्यसन के रूप में उभर कर सामने आया है । संविधान के अन्तर्गत भी इसको व्यवस्था की गई है । भारत के संविधान में अनुच्छेद 47 के अन्तर्गत यह कहा गया है कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह लोगों के आहार पुष्टित ले का (Level of nutrition) और जीवन स्तर को उँचा करने तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रयास करे तथा विशेषतया औषीधीय प्रयोजनों के अतिरिक्त मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिये हानिकारक औषधियों का प्रतिषेध करने का प्रयास करे ।

Article 47 of the constitution provides that "The state shall regard the raising of the level of nutrition and the standard of living of its people and the imporvement of public health as among its primary duties and, in particular, the state shall endeavor to being about probitition of the counsumption exept for medicina purposes of in toxicating drenks and of drugs which are injurious to health."

इस दिशा में भारत सरकार का ध्यान बहुत अधिक है, यह इससे पता चलता है कि भारत यूनाइटेड नेशनस (United Nations) के तीन यूनाइटेड नेशनस कनवेनशन्स का अधोहस्ताक्षरी (Signatory) है । इनके नाम इस प्रकार हैं :-

1. Conventrio on Narcotic drugs, 1961, नारकोटिक ड्रग पर अभिसमय 1961 ।

2. Convention on Psychotropic substances, 1971 and.

3. Convention agains illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances 1988.

इस प्रकार भारत अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर नशा खुरानी को रोकने का अथवा समाप्त करने का जिम्मा भी लिया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नशा को रोकने के लिये 1985-86 से कई योजनायें बना रही है और उसे लागू भी कर रही है। इस योजना (Scheme) को 1994, 1999 और 2008 में तीन बार देखा गया (Revised) और अभी हाल में 1 जनवरी 2015 में पुनः इसे नया रूप देकर लागू किया गया है।

उद्देश्य (Objective)

1. इस स्कीम का उद्देश्य है शराब पर पाबन्दी या उसे रोकना और किसी और तरह के नशे की खराबी को रोकना।

2. लोगों में जागरूकता उत्पन्न करना और लोगों को मध्यव्यसनता को खराबी से अवगत कराना तथा समाज में, कार्यस्थल में, परिवारों में तथा लोगों को शिक्षित करना इसके अवगुणों के प्रति।

3. वैसे व्यक्ति जो नशे के लत में आ चुके हैं उनके सुधार के लिये व्यवस्थ करना (Rehabilitation centre) और लोगों को उसके लिये कार्य करने के लिये बढ़ावा (Motivate) करना जिससे अधिक से अधिक लोग इसके खिलाफ आवाज उठा सकें। और लोगों में नशा के खिलाफ चेतना जागे।

4. लोगों में यह भी जागृत करना की नशा किस प्रकार से समाज को आगे बढ़ने से रोकता है, परिवार बर्बाद हो जाते हैं। लोगों के बीच जाकर शिक्षित करना।

5. इस कार्य में लगे हुये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा बनाये गये नीतियों को आगे बढ़ाने में मदद पहुँचाना।

इस प्रकार यदि उसके उद्देश्य को प्राप्त करना है तो उसके लिये नशाखोरी (Drug ediction) को रोकने के लिये प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता है। अतः एक प्रशिक्षित व्यक्तियों का दल या टीम तैयार करना आवश्यक है। इसमें जनता का सहयोग बहुत ही आवश्यक है। इस क्षेत्र में स्वैच्छिक संस्थायें बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर सकती है। लोगों को स्वयं सुधरने का मौका भी देना चाहिये और उन्हें समय-समय पर कउन्सलिंग करते रहना चाहिये।

शराब तथा नशा के लिये सबसे अधिक निशाना बच्चे (जो स्कूल में हैं तथा स्कूल से बाहर हो चुके हैं) होते हैं। खासकर वैसे बच्चे जो गलियों और रास्ते में रहते हैं जिन्हें "Street children" कहा जाता है, बसे अधिक नशे के चेगुल में आते हैं।

युवक तथा किशोरावसीा के एक ऐसी अवस्था है, जो शराब और नशा को उनकी ओर खींचती है। ये आसानी से नशे के शिकार हो जाते हैं।

दूसरों पर आधारित स्त्रियों तथा युवतियों, कम उम्र की लड़कियों भी नशे का दुरुपयोग करती है। नशा को इन्जेक्शन (Injection) से लेना, सेक्स वर्क्स तथा ड्राइवर्स इत्यादि भी आसानी से नशे की लत में आ जाते हैं।

जेल भी नशा के लिये बहुत ही असुरक्षित स्थान माना जाता है । छोटे बच्चे जो 18 साल से कम उम्र के हैं और जिन्हें किसी जुर्म की वजह से जेल (Juvenile Homes) जिसे रिमाण्ड होम कहा जाता है, वहाँ भी इन्हें नशे का लत आसानी से लग जाता है ।

नीचे दिये गये उपयुक्त (Eligible) संगठन एवं संस्थान नशाखुरानी रोकने के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं । (Eligible Organisation/Institutions for Financial Support)

1. कोई भी संस्था (Society) जो सोसायटी रेजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 (XXI of 1860) और कोई और एक्ट जो राज्य सरकार द्वाना बनाया गया है उसे वित्तीय मदद नशाखुरानी रोकने के लिये दी जा सकती है ।
2. कोई भी कम्पनी जो कम्पनी एक्ट, 1956 के अन्तर्गत सेक्शन 25 के अन्तर्गत स्थापित की गई है । उन्हें भी सहायता वित्तीय रूप में दी जा सकती है ।
3. पंचायती राज संस्थाओं को (PRIs) शहरी स्थानीय संस्थाओं (ULBs) को पूरी वित्तीय सहायता दी जाती है । तथा राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा चलाये गये कार्यक्रमों को भी पूरी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ।
4. विश्व विद्यालयों, सामाजिक कार्य से सम्बन्ध्यात स्कूल कुछ नामी शिक्षण संस्थायें, NYKs, और कुछ ऐसे खास संस्थायें जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी किया गया हो, इन सभी को वित्तीय सहायता नशा खुरानी रोकने के लिये दी जाती है ।

इस प्रकार सरकार नशाखुरानी रोकने के लिये नीतियों द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठा रही है । इसके लिये कई राज्यों में नशाबन्दी रोकने के लिये कानून बना कर पूरे राज्य में नशाबन्दी कर दिया गया है । बिहार सरकार ने भी इस ओर कदम उठाया है, और पूरे बिहार राज्य को मध्यनिषेध राज्य घोषित कर दिया गया है ।

परन्तु सिर्फ मध्यनिषेध नीति लागू करना ही सबकुछ नहीं है । इसके लिये डी एडिक्शन (D-adiction) कैम्प की स्थापना करना आवश्यक है । सामाचार पत्र तथा मिडिया के द्वारा उसके लिये प्रचार किया जाना चाहिये जिससे सरकार की नीतियों को जन-जन तक पहुँचाया जा सके ।

नशें से होने वाली खराबी एवं बिमारियों को रोकने में स्वैच्छिक संस्थाओं को लगाना बहुत ही आवश्यक है । सरकार की नीतियों के अन्तर्गत सर्वे करवाना, समय-समय पर जायजा लेना तथा उस विषय पर खोज (Research) करना इत्यादि महत्वपूर्ण है । और अन्त में नीतियों को सही तरह से लागू करना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है ।

4.8 सारांश (Summary)

सरकार की महत्वपूर्ण नीतियों में समाज कल्याण नीति जो मुख्य रूप से वृद्धों (aged), नि:शक्तों (विकलांगों) (Disalated), युवाओं (Youths), नशाखोरी (Drugs addicts), और किन्नरों (Trans-Genders) से सम्बन्धित हैं बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है ।

जहाँ तक वृद्धों का प्रश्न है, पहले 60 साल आते-आते इनकी उम्र समाप्त हो जाती थी, परन्तु आज 70 साल से 80 साल के वृद्ध भी अच्छी जीवन बिता रहे हैं। इसका मुख्य कारण सरकार नीतियों का इनके सन्दर्भ में बनाना। वृद्धों की सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा देख रेख का पूरा प्रबन्ध सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों द्वारा किया जा रहा है।

बिहार सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन योजना तथा इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना लागू की गई है। इनके लिये बिहार के अनुमण्डलों में "बुनियाद केन्द्र" की योजना संचालित की जा रही है। वृद्धों के कल्याण के लिये 'वृद्धाश्रम' की स्थापना की जा रही है जिसमें सरकार स्वैचिछक संस्थाओं के सहयोग से पाँच जिलों में पटना, गया, पूर्णिया और मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर में 50-50 शायिका वाले वृद्धाश्रम का संचालन इस निदेशालय द्वारा किया जा रहा है।

माता-पिता एवं बरिष्ठ नागरिकों के कल्याणार्थ राज्य सरकार द्वारा वृद्धजन नीति को वर्ष 2012 में लागू किया गया। इसके लिये सभी जिलों में "भरण-पोषण प्राधिकार" का गठन किया गया और साथ ही अपीलीय प्राधिकार भी गठित है।

नि:शक्तता (Disabled) समाज को आगे बढ़ाने से रोकता है अत: सरकार ने अनेक नीतियों द्वारा नि:शक्त जनों के कल्याण के लिये अनेक कार्यक्रम एवं नीतियों का निर्माण किया है। विकलांगजनों के कल्याणार्थ कई योजनायें प्रारम्भ की गई हैं। जैसे विकलांग प्रमाणीकरण, विकलांग छात्रवृत्ति, उनके लिये कृत्रिम अंग एवं उपकरण तथा मूक-बधिर एवं नेगीहीन छात्र/छात्राओं के लिये 8 विशष विद्यालय पटना, भागलपुर, मुंगेर, एवं दरभंगा में संचालित है। इसमें कुल 376 छात्र/छात्राओं को नि:शुल्क आवासन के साथ शिक्षा की व्यवस्था है।

विकलांगों के लिये वर्ष 2011-12 से एकीकृत योजना शुरू की गयी है जिसका नाम "सम्बल" रखा गया है। दृष्टिकोण बालिकाओं के लिये "दृष्टि" तथा मूक बधिर बालिकाओं के लिये विशेष विद्यालय "कोशिश" प्रारम्भ की जा रही है।

युवाओं से सम्बन्धित अनेक कार्यक्रम एवं नीतियों सरकार द्वारा बनाई गई हें। इसके लिये समेकित बाल संरक्षण योजना वर्ष 2010 से क्रियान्वित है। राज्य के सभी 38 जिलों में "किशोर न्याय परिषद्" एवं 38 जिलों में बाल कल्याण समिति कार्यरत है।

किशोर न्याय (बालको की एवं युवाओं) देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2000 यथा संशोधित 2006 की धारा 34 के आलोक में निराश्रित, परित्यक्त, परिवारविहीन बच्चों को उनके पुनर्वास तक आवाति करने के लिये पटना में दो बाल गृह, बेगूसराय में एक बाल गृह संचालित हैं। इसके अतिरिक्त 17 बालगृह स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से संचालित हैं। इसके अतिरिक्त विभिनन जिलों में "खुला आश्रय गृह" गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे हैं।

विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों के मामले की सुनवाई तक आवासित करने हेतु किशोर न्याय अधिनियम 2000 यथासंशोधित 2006 की धारा 8 के आलोक में राज्य के विभिन्न जिलों में पर्यवेक्षण गृहों का निर्माण किया गया है अथवा निर्माणाधीन है। इसके अतिरिक्त पटना जिले में 01 विशेष गृह भी संचालित है।

जहाँ तक मध्यवसन का प्रश्न है इसके लिये सरकार कृतबद्ध है । अनेक राज्यों में इस पर रोक लगाई गई है । बिहार में भी इसे पूरी तरह बन्दकर दिया गया है । शराब एवं नशा देश आगे बढ़ने के रास्ते में रोड़े का कार्य करता है । इससे अनेक बिमारियों तथा रोगों का स्वास्थ्य पर खराब असर पड़ता है । अतः सरकार इससे सम्बन्धित अनेक नीतियों को सरकार ने लागू किया है ।

केन्नरों के भी अपनी अनेक समस्यायें है । इधर सरकार ने इनकी ओर काफी ध्यान दिया है तथा उनसे सम्बन्धित अनेक नीतियों का निर्माण किया गया है जिसकी चर्चा पहले की जा चुकी है ।

4.9 अभ्यास के प्रश्न (Questions for Exercise)

1. **समाज कल्याण नीति पर एक संक्षिप्त नोट लिखें ।**
   Write short note on social welfare policies.
2. **सरकार की ओर से बुजुर्गों के कल्याण लिये क्या नीतियों अपनाई गई है ?**
   What welfare policies have been adopted by the central govt. for aged people ?
3. **नशाखोरी रोकने के लिये सरकार की नीतियों का वर्णन करें ?**
   What stpes government has taken for the De-addiction ?
4. **राष्ट्रीय स्तर र किन्नरों के कल्याण के लिये क्या नीति सरकार द्वारा प्रायोजित किये जा रहे हैं।**
   What policies government is framming for trans-genders at national level.

4.10 प्रस्तावित पाठ (Suggested Readings)

1. **सामाजिक प्रशासन** : डा० सुरेन्द्र कटारिया, जयपुर
2. **भारत का संविधान** : डा० जयनारायण पाण्डे
3. **शोशियल प्राब्लम एण्ड वेलफेयर इन इन्डिया** : जग मोहन, दिल्ली
4. **National Policy for persons with disabilities (www.socialjustice.nic.in** : Ministry of Social Justice and Empowerment Govet. of India, New Delhi.
6. **Youth Policy and Programme of India** : Rangla online द्वारा